



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012022-232650  
CG-DL-E-14012022-232650

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]  
No. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 15(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4घ) और धारा 115कघ की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम, 21कज के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“21कजक. अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के प्रयोजनों हेतु किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई के विनिधान अनुभाग के लिए मानी जा सकने वाली विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की संगणना—(1) धारा 10 के खंड (4घ) के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट निधि में किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई के विनिधान अनुभाग के लिए मानी जा सकने वाली आय की संगणना, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:-

क+ख+ग+घ

जहां,- क = किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त किसी शेयर बाजार को धारा 47 के खंड (vii)कख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है;

ख = उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों (भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयरों से भिन्न) के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय;

ग = किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय और ऐसी आय से भिन्न आय, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत न होती हो; और

घ = किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय, जो 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभाय है।

स्पष्टीकरण: मद क या मद ख या मद ग या मद घ में निर्दिष्ट आय उपार्जन या बनाने के प्रयोजनों हेतु कोई उपगत हुआ व्यय, अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन स्रोत या किसी अन्य क्रियाकलाप से आय से कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं होगी, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि यथास्थिति, मद क या मद ख या मद ग या मद घ में निर्दिष्ट आय के विरुद्ध कटौती के रूप में ऐसा व्यय अनुज्ञात नहीं किया गया है।

(2) पात्र विनिधान अनुभाग, नियत तारीख को या उससे पूर्व अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में प्ररूप सं0 10-झट में छूट प्राप्त आय के किसी वार्षिक विवरण को दिया जाएगा, जिसे उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है।

(3) किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई का विनिधान अनुभाग, अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (II) के प्रयोजनों निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करेगा, अर्थात्:-

(क) यह विनिधान अनुभाग से संबंधित सभी संव्यवहारों के सही और स्पष्ट लेखें उपदर्शित करते हुए, रजिस्ट्रीकृत विनिधान अनुभाग हेतु पृथक् लेखे बनाएगा और जो यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय से संबंधित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय और अन्य आय इन गतिविधियों के अनुपात के अनुसार उचित रूप से अभिलिखित और संगणित हैं;

(ख) यह खंड (क) में निर्दिष्ट लेखे विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व किसी एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षित कराएगा और ऐसा एकाउंटेट, उस तारीख तक प्ररूप सं0 10झट में ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में, जिसे उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया हो, प्रस्तुत करेगा;

(ग) यह निम्नलिखित के संबंध में उचित दस्तावेज अनुरक्षित रखेगा,-

(क) विनिधानों के क्रय और विक्रय हेतु अंतः प्रेषण; और

(ख) भारत में किए गए आवक प्रेषण का उपयोग;

(घ) यह रजिस्ट्रीकृत विनिधान अनुभाग के सभी लेखों का बैंक विवरण अनुरक्षित रखेगा;

(ङ) यह रजिस्ट्रीकृत विनिधान अनुभाग द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से संबंधित संविदा टिप्पण अनुरक्षित रखेगा; और

(च) यह अभिरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का विवरण अनुरक्षित रखेगा।

(4) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) निम्नलिखित करेगा,-

(i) आंकड़े का सुरक्षित प्रग्रहण और प्रारक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करना; और

(ii) प्ररूप संख्या 10-झट और प्ररूप संख्या 10-झट के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों हेतु, पदों,-

(क) "एकाउंटेट" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में उसका है;

- (ख) "नियत तारीख" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है;
- (ग) "पात्र निवेश प्रभाग" से रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद II के अधीन विहित शर्तों को पूरा करते हों, अभिप्रेत होगा;
- (घ) "अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के स्पष्टीकरण (4घ) के खंड (कक) में दिया गया है;
- (ङ) "रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग" से अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद (I) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो;
- (च) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में दिया गया है;
- (छ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से निर्धारण वर्ष के पूर्व सुसंगत वर्ष के रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के खाते के संबंध में, नियत तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है;
- (ज) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में दिया गया है;

21कजकक. अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1ख) के अधीन अपतटीय बैंककारी इकाई के निवेश प्रभाग के कारण विनिर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण- अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1ख) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट निधि की आय, एक अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग होने के कारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी, अर्थात् :-

क+ख+ग+घ+ङ.+च

जहां,-

क = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 112क में संदर्भित प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम स्वरूप और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

ख = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 112क में संदर्भित से अन्यथा और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित;

(ग) = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित कम अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 111क में संदर्भित प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम स्वरूप और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

(घ) = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित कम अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 111क में संदर्भित से अन्यथा और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित 0;

(ङ.) = अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रतिभूतियों से आय, अधिनियम की धारा 194 ठघ में संदर्भित हित की प्रकृति का होगा, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

(च) = प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित, अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथासंदर्भित और उपरोक्त मद ड. में शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण: मद क या ख या ग या घ या ङ. या च में संदर्भित आय प्राप्त करने या बनाने के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी व्यय को किसी अन्य गतिविधियों या स्रोत से आय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यय यथास्थिति मद क या ख या ग या घ या ङ. या च में संदर्भित आय के विपरीत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी गई है।

(2) पात्र निवेश प्रभाग नियत तारीख को या उसके पहले अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से ररु रूप से प्ररुप सं. 10-झट में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के अधीन कराधान के लिए पात्र आय की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जो उसमें उपदर्शित रीति से सम्यक सत्यापित है।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

- (क) “नियत तारीख” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 139 के उपखंड (1) के स्पष्टीकरण 2 में नियत किया गया है;
- (ख) “पात्र निवेश प्रभाग” से रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद II के अधीन विहित शर्तों को पूरा करते हों, अभिप्रेत हैं;
- (ग) “अपतट बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के स्पष्टीकरण (4घ) के खंड (कक) में दिया गया है;
- (घ) “रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग” से अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद (I) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो;
- (ङ) “प्रतिभूतियों” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में दिया गया है;
- (च) “विनिर्दिष्ट निधि” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में दिया गया है।

3. मूल नियम में, प्ररुप सं. 10-झज के पश्चात् परिशिष्ट में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

**“प्ररुप सं. 10-झट**

**[नियम 21कजक और नियम कजकक देखें]**

**नियम 21कजक के उपनियम (2) के अधीन झूट प्राप्त आय की वार्षिक विवरणी और नियम 21 कजकक के उपनियम (2) के अधीन कर योग्य आय**

क्रम सं.		
1.	विनिर्दिष्ट निधि का नाम (घोषणाकर्ता)	
2.	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
3.	विधिक स्थिति [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व वाली भागीदारी/निगमित निकाय]	
4.	स्थायी खाता संख्या:	
5.	पिछले वर्ष समाप्त:	
6.	स्थापना/निगमन की तारीख	ता ता मा मा व व व व
7.	प्रचालन के आरंभ होने की तारीख	ता ता मा मा व व व व
8.	1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अधीन श्रेणी-I विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	2. रजिस्ट्रीकरण की तारीख	ता ता मा मा व व व व
9.	क्या नियम 21अजअ के उप-नियम (3) द्वारा आज्ञापक रूप से शर्तों के अनुसार पूर्ण किया है	हाँ/नहीं

10.	अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना	
	किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर, इसके द्वारा आयोजित अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त आय और जहां ऐसे संब्यवहार के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय है;[अ]	(रुपए में)
	इसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों के सिवाए);[आ]	(रुपए में)
	इसके द्वारा धारित और एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं होने के कारण) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न;[इ]	(रुपए में)
	एक प्रतिभूतिकरण न्यास से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न, या प्राप्त की गई आय, जो "व्यापार या पेशे के लाभ और अभिलाभ के अधीन प्रभार्य है [ई]	(रुपए में)
	पात्र निवेश प्रभाग की आय [अ+आ+इ+ई]	(रुपए में)
11.	धारा 115कघ की उप-धारा (1ख) के अधीन कर योग्य आय की गणना	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 112क में निर्दिष्ट प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न, या प्राप्त की गई अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी लाभ के माध्यम से आय है और जो ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (अ)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 112क में प्रतिभूति के सिवाए, अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (आ)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 111क में प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (इ)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 111क में प्रतिभूति के सिवाए, अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (ई)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 194ठड में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति होते हुए	

अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (उ)	
अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित प्रतिभूतियों से आय है और उपरोक्त मद ई में सम्मिलित नहीं है। (ऊ)	(रुपए में)
पात्र निवेश प्रभाग की आय [अ+आ+इ+ई+उ+ऊ]	(रुपए में)

### घोषणा

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम पूर्ण और बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए प्ररूप में जो कथन किया गया है वह सही और पूर्ण है;

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में ऐसा विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं यह घोषणा करने और यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख:

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर .....

नाम.....

पद.....

### प्रपत्र सं. 10-झठ

### [नियम 21 कजक देखें]

### नियम 21कजक के उप-नियम (3) के अधीन एक लेखाकार द्वारा सत्यापन

### सत्यापन

मैंने/हम \_\_\_\_\_ ने खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें \_\_\_\_\_ के पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त आय का विवरण दिखाया गया है (अपतटीय बैंकिंग इकाई का नाम जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (4घ)के अधीन छूट प्राप्त है और/ या धारा 115कघ की उप-धारा (1ख) के अधीन रियायती दरों के लिए पात्र है।

2. इसके अतिरिक्त, मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि ..... (अपतटीय बैंकिंग इकाई का नाम) के पात्र निवेश प्रभाग ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया है:

क्र.सं.	शर्त	पूरी हुई या नहीं
(i)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के लिए अलग खाते बनाए हैं;	हां/नहीं
(ii)	इसने धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित खंड (i) में निर्दिष्ट खातों को प्राप्त किया है;	हां/नहीं
(iii)	इसने निवेशों को खरीदने और बेचने के लिए भीतर के प्रेषण से संबंधित उचित दस्तावेज बनाए रखा है;	हां/नहीं

(iv)	इसने भारत में किए गए आवक प्रेषण के उपयोग के संबंध में उचित दस्तावेज बनाए रखा है;	हां/नहीं
(v)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के सभी खातों का बैंक विवरण बनाए रखा है;	हां/नहीं
(vi)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित करार नोट बनाए रखा है; और	हां/नहीं
(vii)	इसने अभिरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का विवरण रखा है।	हां/नहीं

3. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान

(लेखाकार के नाम के साथ हस्ताक्षर)

तारीख \_\_\_\_\_।

[अधिसूचना संख्या 6/2022 एफ.सं. 370142/60/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

**टिप्पणः-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 903(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 के अधीन अंतिम बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2022

**G.S.R. 15(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (4D) of section 10 and sub-section (1B) of section 115AD, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Income tax (1<sup>st</sup> Amendment) , Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of April, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 21AJ, the following rules shall be inserted, namely:—

‘21AJA. **Computation of exempt income of specified fund, attributable to the investment division of an offshore banking unit, for the purposes of clause (4D) of section 10 of the Act-** (1) For the purposes of clause (4D) of section 10 of the Act, income of specified fund attributable to the investment division of an offshore banking unit shall be computed in accordance with the following formula, namely:-

$A+B+C+D$

where ,—

A = any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a capital asset referred to in clause (viiab) of section 47 of the Act held by it, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange;

B= any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of securities held by it (other than shares in a company resident in India);

C= any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division from securities held by it and issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India;

D = any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division from a securitisation trust which is chargeable under the head "profits and gains of business or profession".

Explanation: Any expenditure incurred for the purposes of making or earning income referred to in items A or B or C or D shall not be allowed as deduction from income from any other activity or source under any provision of the Act, irrespective of the fact that such expenditure has not been allowed as deduction against income referred to in items A or B or C or D, as the case may be.

(2) The eligible investment division shall furnish an annual statement of exempt income in Form No. 10-IK electronically under digital signature on or before the due date, which is duly verified in the manner indicated therein.

(3) For the purposes of item (II) of sub-clause (ii) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act, an investment division of an offshore banking unit shall fulfill the following conditions, namely:-

- (a) it shall maintain separate accounts for the registered investment division reflecting the true and fair accounts of all transactions relating to the investment division and which shall ensure that direct and indirect expenses relating to the incomes referred to in sub-rule (1) and other incomes are properly recorded, accounted for, and apportioned to these activities;
- (b) it shall get the accounts, referred to in clause (a), audited by an accountant before the specified date and such accountant shall furnish by that date the report of such audit in Form No. 10-IL electronically under digital signature, which is duly verified in the manner indicated therein;
- (c) it shall maintain proper documentation in respect of,-
  - (i) inbound remittance for buying and selling the investments; and
  - (ii) the use of inward remittance made to India;
- (d) it shall maintain bank statement of all accounts of the registered investment division,;
- (e) it shall maintain contract notes relating to purchase and sale of securities by the registered investment division; and
- (f) it shall maintain a statement of securities issued by the custodian.

(4) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall,-

- (i) specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data; and
- (ii) be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to Form No 10-IK and Form No 10-IL.

Explanation. - For the purpose of this rule, the expressions,-

- (a) "accountant" shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Act;
- (b) "due date" shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (c) "eligible investment division" shall mean a registered investment division which fulfills the conditions as prescribed under item II of sub-clause (ii) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;
- (d) "investment division of an offshore banking unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (aa) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;
- (e) "registered investment division" shall mean an investment division of an offshore banking unit which fulfills the condition specified under item (I) of sub-clause (ii) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;



- (f) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (bb) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;
- (g) "specified date", in relation to the accounts of the registered investment division of the previous year relevant to an assessment year, means a date one month prior to the due date.
- (h) "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act.

**21AJAA. Determination of income of a specified fund attributable to the investment division of an offshore banking unit under sub-section (1B) of section 115AD of the Act -** (1) For the purposes of sub-section (1B) of section 115AD of the Act, income of a specified fund, being the investment division of an offshore banking unit shall be computed in accordance with the following formula, namely:-

$A+B+C+D+E+F$

where,—

A = income by way of long term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division, as a result of transfer of a security referred to in section 112A of the Act and held by such investment division;

B = income by way of long term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a security, other than that referred to in section 112A of the Act, and held by such investment division;

C = income by way of short term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of security referred to in section 111A of the Act and held by such investment division;

D = income by way of short term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a security, other than that referred to in section 111A of the Act, and held by such investment division;

E = income from securities referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD of the Act, being in the nature of interest referred to in section 194LD of the Act, held by the eligible investment division;

F = income from securities, held by the eligible investment division, as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD of the Act and not included in item E above.

Explanation: Any expenditure incurred for the purposes of making or earning an income referred to in items A or B or C or D or E or F shall not be allowed as a deduction from income from any other activity or source, irrespective of the fact that such expenditure has been not allowed as a deduction against income referred to in items A or B or C or D or E or F, as the case may be.

(2) The eligible investment division shall furnish an annual statement of income, eligible for taxation under sub-section (1B) of section 115AD of the Act, in Form No. 10-IK electronically under digital signature on or before the due date, which is duly verified in the manner indicated therein.

Explanation.- For the purpose of this rule, the expressions,-

- (a) "due date" shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (b) "eligible investment division" shall mean a registered investment division which fulfills the conditions as prescribed under item II of sub-clause (ii) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;
- (c) "investment division of an offshore banking unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (aa) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;
- (d) "registered investment division" shall mean an investment division of an offshore banking unit which fulfills the condition specified under item (I) of sub-clause (ii) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act;
- (e) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of the Explanation to section 115AD of the Act;
- (f) "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10 of the Act.'

3. In the principal rules, in the APPENDIX after Form No. 10-IJ, the following Forms shall be substituted, namely: —

**“FORM NO. 10-IK**

**[see rule 21AJA and rule 21AJAA]**

**Annual Statement of Exempt Income under sub-rule (2) of rule 21AJA and taxable income under sub-rule (2) of rule 21AJAA**

Sl. No.										
1.	Name of the Specified Fund ( Declarant)									
2.	Address of the registered office of the specified fund:									
3.	Legal status[ company/trust/limited liability partnership/body corporate]:									
4.	Permanent Account Number:									
5.	Previous year ending:									
6.	Date of establishment / incorporation		d	d	m	m	y	y	y	y
7.	Date of commencement of operations		d	d	m	m	y	y	y	y
8.	1.	Registration number as per the certificate of registration as a Category-I foreign portfolio investor under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019								
	2.	Date of registration	d	d	m	m	y	y	y	y
9.	Whether conditions as mandated by sub-rule (3) of Rule 21AJA are fulfilled		Yes/No							
10.	Calculation of income exempt under clause (4D) of section 10 of the Act									
	Income accrued or arisen or received by the eligible investment division from transfer of capital asset referred to in clause (viiab) of section 47 of the Act held by it, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange; [A]		(In Rs)							
	Income accrued or arisen or received by the eligible investment division as a result of transfer of securities held by it (other than shares in a company resident in India);[B]		(In Rs)							
	Income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division from securities held by it and issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India;[C]		(In Rs)							
	Income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division from a securitisation trust which is chargeable under the head "profits and gains of business or profession D]		(In Rs)							
	Income of the eligible investment division [A + B + C + D]		(In Rs)							
11.	Calculation of income taxable under sub-section (1B) of section		(In Rs)							

115AD	
Income by way of long term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD of the Act, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division, as a result of transfer of a security referred to in section 112A of the Act and which is held by such investment division. (A)	(In Rs)
Income by way of long term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a security, other than that referred to in section 112A of the Act, and held by such investment division.(B)	(In Rs)
Income by way of short term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD of the Act, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of security referred to in section 111A of the Act and held by such investment division (C)	(In Rs)
Income by way of short term capital gain referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD of the Act, accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a security, other than that referred to in section 111A of the Act, and which is held by such investment division.(D)	(In Rs)
Income from securities referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD of the Act, being in the nature of interest referred to in section 194LD of the Act, held by the eligible investment division.(E)	
Income from securities, held by the eligible investment division, as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD of the Act and not included in item E above. (F)	(In Rs)
Income of the eligible investment division [A+B+C+D+E+F]	(In Rs)

**Declaration**

I, \_\_\_\_\_ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated in the Form above is correct and complete;

I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as \_\_\_\_\_ (designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature .....

Name.....

Designation.....

**FORM NO. 10-IL**

[see rule 21AJA]

**Verification by an Accountant under sub-rule (3) of rule 21AJA****Verification**

I/We \_\_\_\_\_ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division of \_\_\_\_\_ (name of the offshore banking unit which

is exempt under clause (4D) of section 10 and/or is eligible for concessional rates under sub-section (1B) of section 115AD of the Income-tax Act, 1961.

2. Further, I/ We do hereby affirm that the eligible investment division of .....(name of offshore banking unit) has fulfilled the following conditions:

S.no.	Condition	Whether fulfilled or not fulfilled
(i)	It has maintained separate accounts for the registered investment division;	Yes/No
(ii)	It has got the accounts, referred to in clause (i), audited by an accountant referred to in the Explanation below sub-section (2) of section 288;	Yes/No
(iii)	It has maintained proper documentation relating to inbound remittance for buying and selling the investments;	Yes/No
(iv)	It has maintained proper documentation in respect of the use of inward remittance made to India;	Yes/No
(v)	It has maintained bank statement of all accounts for the registered investment division;	Yes/No
(vi)	It has maintained contract notes relating to purchase and sale of securities by the registered investment division; and	Yes/No
(vii)	It has maintained a statement of securities issued by the custodian.	Yes/No

3. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place

\_\_\_\_\_  
(Signature with name of the accountant)

Date \_\_\_\_\_.”.

[Notification No. 6/2022 F. No. 370142/60/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

**Note.** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R 903(E), dated the 29th December, 2021.